

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 544/2025

तनवीर कौर पुत्री श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ हाल आबाद
शेरगढ़(ज्ञान सिंह) तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) आयु
करीब 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली मामा महंगा सिंह पुत्र श्री मलूक
सिंह जाति जटसिख निवासी गली नं. 02, कीरत नगर, मलोट रोड़ श्री
मुक्तसर साहिब तहसील व जिला श्री मुक्तसर साहिब(पंजाब)

-वादीया

बनाम्

1. रणजीत कौर पत्नी श्री बलतेज सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख
निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद
शेरगढ़(ज्ञान सिंह) तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)

2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

-प्रतिवादीगण


उपस्थिति :-

वादीया की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 01 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. तथा 136 एल. आर. एक्ट

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील
वादीया मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी
सं. 01 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं कि वाद
वादीया डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 8 एन.टी.डब्ल्यू. के
खाता सं. 23/25 खाता अवतार सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्बत् 2073-76
(जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल 6.325 है. आराजी में से बलतेज सिंह पुत्र
श्री गुरचरण सिंह उर्फ गुरबचन सिंह के नाम दर्ज 141/6325 हिस्सा की


लगातार --2


महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

या खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादीया सं. 1 का कोई व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद या जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से बलतेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण उर्फ गुरबचन सिंह का नाम कलमजन किया जाये तथा उक्त खाता में माबन्दी दुरुस्त की जाकर वादीया के पिता का नाम बलतेज सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह उर्फ गुरबचन सिंह के स्थान पर बलतेज सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह दर्ज किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत्X.....निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 23/2.2023 को जारी किया जाता है।


(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
सवाई
महाराणा